

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक 40 9(126)राज-6/2012/24


जयपुर, दिनांक:- 22-07-15

-अधिसूचना-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) सपठित धारा 26 उप-धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार के भीतर करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.11.2015 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(डॉ. कुंज बिहारी पण्ड्या)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक में प्रकाशन हेतु ।
11. राविरा, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव